



कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक / मा.चि. / 78
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक

17 JAN 2023

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

- विषय:- बोमल्या से सातग्वारी मार्ग लंबाई 2.42 कि०मी० के एक रेखण मे आने वाली वन भूमि मे मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.69 हे.निर्माण कार्य वनक्षेत्र मे करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/144186/2021
- संदर्भ:- 1. आपका कार्यालयीन पृष्ठ क्रमांक / 1805 दिनांक 24.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 132 दिनांक 9.01.2023
2. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 2628 दिनांक 30.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 45 दिनांक 12.01.2023

—000—

निवेदन हैं कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से चाही गयी प्रकरण मे भारत शासन के पत्र क्रमांक 6-MPB 011/2022-BHO दिनांक 25.04.22 के बिंदु क्रमांक 1 के चाहे अनुसार भाग 3 संलग्न संप्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

13/1/23 छिंदवाड़ा

17 JAN 2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 75

छिंदवाड़ा, दिनांक

प्रतिलिपि:-1. वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

13/1/23 छिंदवाड़ा

13/1/23

E-MAIL

13/1/23 bomlya to satgwari west 1.69he

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

स्थल निरीक्षण / अनुशंसा

—000—

प्रकरण बोमल्या से सातग्वारी मार्ग प्रस्तावित एरिया 1.69 हे. (40 हे0 से कम होने के कारण) का होने से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रकरण पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बोमल्या से सातग्वारी मार्ग लंबाई 2.42 कि०मी० के एक रेखण में आने वाली वनभूमि में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.69 हे.का आवेदक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा का प्रकरण वनमंडलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पंच-सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर से लगा होने के कारण प्रकरण में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।



वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

11/11/21 छिंदवाड़ा